सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2018/00288

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

...सीन अधिकारी –हरिसिंह लम्बोरा आर० ए० एस०

...ील संख्या– 11/2018

1–नरेशकुमार पुत्रश्री शिवशंकर जाति ब्राहमण निवासी रजौराकलॉ तहसील सैपऊ

........अपीलान्ट

बनाम

1–ग्राम पंचायत रजौरा कलॉ जरिये संरपच

2–गिरजेशकुमार 3–राकेशकुमार 4–बद्रीप्रसाद पुत्रगण शिवशंकर 5–बृजवासी 6–वीरेन्द्र पुत्रगण रामनिवास 7–सरोज पत्नी रामनिवास 8–राजेन्द्र पुत्र श्याकिशोर 9–राजावेटी पत्नी रमेश 10–आशा पत्नी विश्नू जातिगण ब्राहमण निवासी रजौरा कलॉ तहसील सैपऊ

11–बी.आर.के.जी.बी. शाखा सैपऊ जरिये शाखा प्रवन्धक

..........रेस्पो0

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 73 वाके ग्राम रजौरा कलॉ आदेश ग्राम पंचायत सहरोली दिनांक 25.11.1972

उपस्थिति– 1–श्री शेषकुमार एडवोकेट – अपीलांट

निर्णय

दिनांक 13.03.2019

अपीलान्ट की ओर से अपील दिनांक 27.11.2018 को न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की है कि आराजी खसरा नम्बर 1455, 1481, 1500, 1508, 1513, 1514, 1525 एंव 1456, 1464, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1477 स्थित ग्राम रजौरा कलॉ तहसील सैपऊ में अभिलिखित खातेदार काश्तकार अपीलान्ट के पिता शिवशंकर पुत्र श्यामकिशोंर व हिस्सा 1/4 भाग के अन्य सहखातेदारान के साथ थे। जिनकी मृत्यु के उपारान्त विरास्तन नामा0 जेर अपील संख्या 73 दिनांक 27.12.1972 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें सहवन से अपीलान्ट की उम्र वक्त नामा0 मात्र 1 या 1–1/2 वर्ष नावालिक होने के कारण अपीलान्ट के पिता स्व0 शिवशंकर की विरासत में बतौर पुत्र अंकित नही किया गया मात्र अन्य सहोदर भाईयो के नाम अकित कर दिया जिससे अपीलान्ट अपने अधिकारो से वंचित होने से उक्त नामा0 जेर अपील से व्यथित होकर निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत करता है।

उक्त नामा0 जेर अपील वास्तविक तथ्यो, विधि के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से स्वीकार किया गया है जो निरस्त योग्य है। उक्त नामा0 स्वीकार करने में राजस्व कर्मचारियो एंव ग्राम पंचायत द्वारा ना तो सही जांच की और ना ही अपीलान्ट व उसकी मां को कोई सूचना दी गई उसके पीठ पीछे साजिसन स्वीकार किया गया जिससे अपीलान्ट के मौलिक अधिकारो का हनन हुआ है। जिससे उक्त नामा0 निरस्तनीय है। अपीलान्ट का नाम विरासतन कृ षि भूमि के अलावा अन्य कृर्षि भूमि ग्राम गरवापुरा तहसील धौलपुर में अपीलान्ट के पिता की विरासत से अपीलान्ट का नाम अंकित नही होने से न्यायालय श्रीमान उपखण्डाधिकारी धौलपुर में उनवानी प्रकरण नरेश कुमार बनाम रामकटोरी दावा नम्बरी 9/2006 स्वत्व घोषणा प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 10.6.2008 को किया गया जो डिकी किया गया। इसलिये भी नामा0 निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के पिता की विरासत का सिजरा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रजौरा कलॉ कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र एंव शैक्षणिक दस्तावेजात में अपीलान्ट के पिता शिवशंकर होने से भी नामा0 निरस्तनीय है।

अत : अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 73 तारीख 25.11.1972 वाके ग्राम रजौरा कलॉ खारिज किया जाकर अपीलान्ट की पृविष्टी बतौरा सहखातेदार अंकित कराई जावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रजौरा कलॉ तहसील सैपऊ में अभिलिखित खातेदार काश्तकार अपीलान्ट के पिता शिवशंकर पुत्र श्यामकिशोंर वहिस्सा 1/4 भाग के अन्य सहखातेदारान के साथ थे जिनकी मृत्यु के उपारान्त विरास्तन नामा0 जेर अपील संख्या 73 दिनांक 27.12.1972 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें सहवन से अपीलान्ट की उम्र वक्त नामा0 मात्र 1 या 1–1/2 वर्ष नावालिक होने के कारण अपीलान्ट के पिता स्व0 शिवशंकर की विरासत में बतौर पुत्र अंकित नही किया गया मात्र अन्य सहोदर भाईयो के नाम अकित कर दिया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामा0 संख्या 73 दिनांक 25.11.1972, नकल जमावन्दी संवत 2070–73 ग्राम रजौरा कलां, नकल जमावन्दी संवत 2070–73 ग्राम रजौरा कलां शिजरा ग्राम पंचायत रजौराकलां दिनांक 14.11.2018, राशनकार्ड संख्या 200000696394, मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या 9793 दिनांक 12.01.1990, आधार कार्ड संख्या 825194804826, निर्णय उपखण्डाधिकारी धौलपुर दिनांक 10.06.2008 से मृतक शिवशंकर का नरेशकुमार भी उत्तराधिकारी होना सावित होता हैं। इसलिए हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों से भी सहमत है । ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश नामा0 संख्या 73 दिनांक 25.11.1972 ग्राम पंचायत रजौराकलां निरस्त कर प्रकरण को पुनः जांच कर अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार सैपऊ को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अपीलाधीन आदेश नामा0 संख्या 73 दिनांक 25.11.1972 ग्राम पंचायत रजोरा कलां निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुन : नामा0 की कार्यवाही की जावे । निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.03.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ